



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3883]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2019/ अग्रहायण 8, 1941

No. 3883]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2019/AGRAHAYANA 8, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2019

का.आ. 4322(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश सरकार के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26 (ए) के अधीन जी.ओ.एम.एस.सं.79 पर्यावरण, वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एफ ओ आर-III), दिनांक 27.06.1998 को घोषित किया गया। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 194.81 वर्ग किलोमीटर है जिसमें नचुगुंटा खंड-II रिज़र्व वन (आर एफ) 8.7548 वर्ग किलोमीटर

है जिसमें कि 15⁰- 42" से 16⁰-00" उत्तर और पूर्व 80⁰- 46" से 81⁰- 08" के बीच में अभयारण्य क्षेत्र के दो राजस्व जिले अर्थात् कृष्णा और गुंटूर शामिल हैं;

और, कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के वनस्पति और जीवजंतु में विशिष्ट पारिस्थितिकी प्रणाली का गठन किया गया है, जो कृष्णा एस्टुरीन क्षेत्र में विद्यमान ज्वारीय वन (मैंग्रोव) की विशेषता है। नदी के किनारे के साथ मैंग्रोव कृष्णा डेल्टा कॉम्प्लैक्स में जिला पर्यावास बनाते हैं। मैंग्रोव लवण टोलेंट वन पारिस्थितिकी-प्रणाली है जो मुख्य रूप से विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारिय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें विशिष्ट जैविक और भू-वैज्ञानिक विशेषताएं हैं। वे न केवल अत्यधिक संवेदी और उत्पादक क्षेत्र हैं, बल्कि झींगा, शेल और फिन मछली आदि के लिए नर्सरी क्षेत्र के रूप में भी कार्य करते हैं। मैंग्रोव वन में होने वाली वनस्पति और जीवजंतु में लवणता की विभिन्न डिग्री को सहन करने की विशेष क्षमता होती है। अनुकूल स्थितियों में मैंग्रोव सघन वनों का व्यापक उत्पादन पारि-प्रणाली बनाते हैं। वह एक दूसरे से संबंधित पौधों और पशुओं की कई प्रजातियों के लिए वास कर रहे हैं। अभयारण्य में पौधों और पशुओं की विभिन्न प्रजातियों के बीच अंतर-संबंध अध्ययन के लिए रुचि का विषय है;

और, अन्य प्रजातियों के साथ ज्वारीय वन (मैंग्रोव वन) मुख्य प्रकार के वन *एविकेनिया ऑफिकिनालिस*, *एविकेनिया मरीना*, *एविकेनिया अल्बा*, *राहीजोफोरा कोन्जुगाटा*, *एक्सोकरिया एग्लोचा*, *लुमिन्टजेरा रेकेमोसा*, *एगोकेरेस कोरनिकुलातम*, *एकेंथुस इल्लिकिफोलिउस*, *क्रिप्स रोकबुरघिइना*, *बरूगुइरा कोंजुगाटा*, *कारपा मोलेकेंसिस*, *डालबेरगिया स्पिनोसा*, *डेर्रीस उलीगनोसा*, *ए केंथुस इलिकिफोलिउस*, *सेसुवियम पोरटुलाकुस्ट्रम*, *सुआडा नुडीफलोरा*, *सुआडा मोनोविका*, *सालिकोर्निया ब्रोइएट*, *मायरियो स्टाच्या* आदि है, अभयारण्य में मुख्य जीवजंतु ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेब, छोटा ग्रेब, भारतीय झबरा, छोटा जलकौआ, पर्पल बगुला, पोंड बगुला, लार्ज इग्रेट, मवेशी इग्रेट, भारतीय रूफ बगुला, वाक बगुला, चेस्टनट बिट्टर्न, येलो बिट्टर्न, ग्लोस्सी ईबिस, चित्तदार बिल्लेड बत्तख, माल्लर्ड, तिमारी, लाल क्रेस्टेड पोचाई, गुच्छेदार बत्तख, कॉम्ब बत्तख, काला विंगेड कार्डेट, भारतीय मूरथन, कूट और सामान्य कूट, तीतर टीलेड जकाना, काला विगेड स्टिल्ट, लाल वाट्टलेड टिटहरी, गोल्डन बटान, लार्ज सैंड बटान, रिंगेड बटान, सामान्य सैंडपाइपर, पिटेल स्निप, जैक स्निप, छोटा स्टीट, छोटा टर्न, ब्लू राँक कबूतर, रिंगडब, चितकबरा क्रेस्टेड कोयल, भारतीय कोयल, चितकबरा किंगफिशर, स्वाल्लोव, रोज़ी पास्टोर, ग्रे हेडेड मैना, लाल वेंटेड बुलबुल, चितकबरा ब्राब्लेयर, लार्ज बुस वार्बलर, असह्य वरन वार्बलर, ब्राउन लैफ वार्बलर, रेड स्टार्ट, विचित्र चाट, पर्पल शकरखोर, सफेदी पेलिकन, बांकर, स्पून बिल्ल, रीसस बंदर, पोंड और ग्रीन मेंढक, ट्री मेंढक, हाउस गेक्को, वाल्ल छिपकली, गोल्डन छिपकली, धारीधार कैल बैक, ओलिव कैल, कोबरा, रूसलेस साँप, हॉक नोसड साँप, हॉक्सबिल सैअ, एस्टुरीन मगरमच्छ, आदि उपलब्ध है। अभयारण्य में ओलिव रिडले कछुआ भी प्रजनन करते हैं और पिछले तीन वर्षों से अभयारण्य में समुद्री कछुआ (ओलिव रिडले) का संरक्षण महत्वपूर्ण क्रियाकलाप बन गया है;

और, कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा और गुंटूर जिला के कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर से 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर समरूप 1 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 175.33 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख और उपाबंध-IIग** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण,
- (ix) नगरपालिका प्रशासन;
- (x) सड़कें और इमारतें;
- (xi) आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- (xii) बंदरगाह;
- (xiii) मत्स्य;
- (xiv) इंडस्ट्रीज;
- (xv) एपीटीआरएनएससीओ;

- (xvi) रेलवे;
- (xvii) पंचायती राज; और
- (xviii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा:

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्विधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

तथापि, पारिस्थितिकी-पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्यापक संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबन्धी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाइयां-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका

		(सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिजॉर्ट की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी

		की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। (भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
14.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
20.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू

		विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	विकास क्रियाकलापों के लिए विस्फोटक पदार्थ का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग.संबन्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों/पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	संबंधित प्रभागीय वन अधिकारियों के जिला कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष;
(ii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	पर्यावरण इंजीनियर, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(iv)	नगर आयुक्त, कृष्णा और गुंटूर	सदस्य;
(v)	प्रभागीय वन अधिकारी, वन्यजीव प्रबंधन, एलुरु	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	निज़ामपटनम के निदेशक पोर्टर्स निज़ामपट्टनम पोर्ट	सदस्य;
(ix)	महाप्रबंधक, डीआईसी, विजयवाड़ा	सदस्य;
(x)	उप निदेशक, मत्स्य, मच्छलीपट्टनम	सदस्य;
(xi)	जिला वन्यजीव वार्डन, कृष्णा (टी) विजयवाड़ा, गुंटूर (टी) गुंटूर	सदस्य-सचिव।

6. विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा. सं. 25/40/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I


पारिस्थितिकी संवेदी जोन के कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य और कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

- एल से के: पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा स्टेशन 'एल' (अक्षांश: 15.8713⁰ –देशांतर: 80.7645⁰) से आरंभ होती है, अभयारण्य सीमा से 1 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी के तट पर कोथापलेम रिज़र्व वन में है और पश्चिम दिशा में समानांतर जाती है फिर यह कोथापलेम ग्राम के निकट बिंदु 'के' (अक्षांश: 15.9344⁰ –देशांतर: 80.8177⁰) पहुंचती है।
- के से जे: इसके बाद, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा मोल्लागूटी ग्राम के निकट स्टेशन 'जे' (अक्षांश: 15.8871⁰ –देशांतर: 80.8340⁰) से दक्षिण पूर्वी दिशा में पार करके जाती है।
- जे से आई: इसके बाद, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा मरूतून्ययापलेम ग्राम के निकट स्टेशन 'आई' (अक्षांश: 15.8798⁰ –देशांतर: 80.8692⁰) से पश्चिमी दिशा में पार करके जाती है।
- आई से एच: इसके बाद सीमा रेखा दक्षिणी दिशा में 'आई' पार करके जाती है यह लंकावानीडीब्बा ग्राम के निकट स्टेशन 'एच' (अक्षांश: 15.8040⁰ –देशांतर: 80.8445⁰) पहुंचती है।
- एच से जी: इसके बाद सीमा रेखा दक्षिणी दिशा में 'एच' पार करके जाती है फिर यह कृष्णा नदी के तट के निकट स्टेशन 'जी' (अक्षांश: 15.7698⁰ –देशांतर: 80.8398⁰) पहुंचती है जहां यह कृष्णा नदी को पार करके पूर्व की ओर मुड़ती है।
- जी से एफ: इसके बाद सीमा रेखा कृष्णा नदी को पार करके कृष्णा जिला में जाकर और इलीचेटयलाडिब्बा ग्राम के निकट स्टेशन 'एफ' (अक्षांश: 15.7896⁰ –देशांतर: 80.8670⁰) से जुड़ती है और उत्तर-पूर्वी दिशा में अभयारण्य सीमा के समानांतर जाती है।
- एफ से ई: इसके बाद सीमा रेखा नदीपेरू (कृष्णा नदी की एक भुजा) को पार करके और नचुगूटा द्वीप में जाती है और नचुगूटा ग्राम के निकट स्टेशन 'ई' (अक्षांश: 15.7894⁰ –देशांतर: 80.8874⁰) से जुड़ती है और नचुगूटा खंड-II के दक्षिण- पश्चिम कोन से जुड़ती है।
- ई से डी : इसके बाद सीमा रेखा घिरे हुए होल ब्लॉक के ब्लॉक II नचुगूटा आर.एफ. की सीमा रेखा के साथ जाती है और ब्लॉक के उत्तर-पूर्वी कोण पहुंचती है और सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर समानांतर जाती है और बल्लालेरू (कृष्णा नदी का अन्य किनारा) को पार करके और इतीमोगा ग्राम के निकट स्टेशन 'डी' (अक्षांश: 15.8692⁰ –देशांतर: 80.9692⁰) में जाती है।

- डी से सी: इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा अभयारण्य सीमा रेखा के समानांतर 1 किलोमीटर उत्तर-पूर्वी दिशा में जाती है और संगमेश्वरम ग्राम के निकट स्टेशन 'सी' (अक्षांश: 15.8962⁰ -देशांतर: 80.0162⁰) से जुड़ती है।
- सी से बी: इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा अभयारण्य सीमा रेखा के समानांतर 1 किलोमीटर उत्तर-पूर्वी दिशा में जाती है। और सुभद्रापुरम ग्राम के निकट स्टेशन 'बी' (अक्षांश: 15.9375⁰ -देशांतर: 80.0696⁰) से जुड़ती है।
- बी से ए: इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा अभयारण्य सीमा रेखा के समानांतर 1 किलोमीटर उत्तर-पूर्वी दिशा में जाती है और हमसालादेवी ग्राम के निकट स्टेशन 'ए' (अक्षांश: 15.9936⁰ -देशांतर: 80.0881⁰) से जुड़ती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा कृष्णा नदी के पहले तट पहुंचती है और नदी को पार करके और कृष्णा नदी के पूर्वी बांध जाती है यह बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा अभयारण्य के समुद्र की तरफ के साथ बंगाल की खाड़ी में अभयारण्य सीमा के समानांतर 1 किलोमीटर आडे-तिरछे ढंग में, यह घिरा हुआ है और गुंटूर जिला में स्टेशन 'एल' (अक्षांश: 15.8713⁰ -देशांतर: 80.7645⁰) आरंभिक बिंदु से जुड़ा और निकटतम है।


उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




उपाबंध-11ख

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र



उपाबंध-IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध- III

सारणी क: कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)			
1	15.86788	80.76352	12	15.79488	80.83172
2	15.88125	80.80761	13	15.77174	80.83121
3	15.88020	80.81455	14	15.76921	80.84153
4	15.89009	80.81371	15	15.77521	80.84419
5	15.89194	80.81659	16	15.78162	80.86606
6	15.87597	80.83461	17	15.77672	80.86866
7	15.87806	80.83592	18	15.77630	80.88168
8	15.87983	80.85985	19	15.78237	80.88779
9	15.84983	80.85397	20	15.78152	80.88991
10	15.82574	80.84734	21	15.78913	80.90057
11	15.80382	80.83582	22	15.79431	80.90360

23	15.79763	80.91792	64	15.88489	81.04673
24	15.80266	80.91983	65	15.87726	81.03987
25	15.80683	80.92990	66	15.86513	81.03101
26	15.81826	80.93493	67	15.85461	81.02097
27	15.84221	80.96168	68	15.84384	81.01079
28	15.86486	80.98555	69	15.83421	81.00333
29	15.89638	81.02494	70	15.82819	81.00029
30	15.91767	81.04965	71	15.82638	80.99908
31	15.93207	81.07428	72	15.82247	80.99818
32	15.95176	81.07968	73	15.81906	80.99685
33	15.96438	81.08986	74	15.81773	80.99547
34	15.98021	81.10286	75	15.81577	80.99647
35	16.00309	81.09405	76	15.79875	80.99838
36	16.00339	81.08811	77	15.78750	81.00222
37	16.00437	81.09150	78	15.78205	81.00537
38	15.99970	81.11701	79	15.77573	81.00808
39	15.98170	81.12383	80	15.77483	81.01109
40	15.96794	81.13469	81	15.77167	81.01349
41	15.94721	81.10948	82	15.77498	81.01410
42	15.92301	81.08145	83	15.76693	81.01534
43	15.92359	81.07995	84	15.76489	81.00864
44	15.91908	81.07616	85	15.76956	80.99863
45	15.92008	81.07401	86	15.76075	80.99863
46	15.91491	81.07162	87	15.75774	81.00014
47	15.91352	81.06703	88	15.75763	81.00207
48	15.90980	81.06642	89	15.75396	81.00019
49	15.91049	81.06333	90	15.75450	81.00327
50	15.90807	81.06534	91	15.75670	81.00696
51	15.90206	81.05972	92	15.75781	81.00873
52	15.90372	81.05560	93	15.76006	81.00755
53	15.90130	81.05770	94	15.76011	81.00904
54	15.90212	81.05444	95	15.75701	81.01027
55	15.90130	81.05388	96	15.74635	80.99861
56	15.89952	81.05621	97	15.73382	80.97766
57	15.89637	81.05176	98	15.73311	80.97213
58	15.89064	81.04731	99	15.73520	80.97210
59	15.89105	81.04496	100	15.73393	80.96860
60	15.88851	81.04645	101	15.72918	80.96743
61	15.89183	81.05080	102	15.71914	80.95160
62	15.89348	81.05326	103	15.71493	80.93771
63	15.88995	81.05055	104	15.71956	80.93472

105	15.72031	80.93034	146	15.76069	80.81092
106	15.71704	80.92899	147	15.77681	80.80437
107	15.71509	80.92012	148	15.78070	80.80140
108	15.71432	80.89004	149	15.79094	80.79469
109	15.70777	80.82938	150	15.80280	80.78972
110	15.70510	80.82223	151	15.81335	80.78421
111	15.70958	80.81884	152	15.82286	80.78273
112	15.71241	80.81865	153	15.82729	80.78431
113	15.71027	80.81984	154	15.82814	80.78531
114	15.70781	80.82334	155	15.82939	80.78587
115	15.70800	80.82410	156	15.82851	80.78763
116	15.71031	80.82275	157	15.83165	80.78722
117	15.71248	80.82007	158	15.83548	80.78636
118	15.71740	80.81715	159	15.84103	80.78284
119	15.72039	80.81469	160	15.84859	80.77984
120	15.72162	80.81416	161	15.85096	80.77978
121	15.72574	80.80666	162	15.85351	80.77822
122	15.72938	80.80061	163	15.85789	80.77896
123	15.73431	80.79638	164	15.85887	80.77995
124	15.74139	80.79430	165	15.85735	80.78174
125	15.74714	80.79406	166	15.85578	80.78281
126	15.74903	80.79596	167	15.85475	80.78198
127	15.74804	80.79665	168	15.85543	80.78377
128	15.74977	80.79828	169	15.85537	80.78478
129	15.74838	80.79890	170	15.85476	80.78513
130	15.74973	80.79982	171	15.85508	80.78646
131	15.74816	80.80059	172	15.85408	80.78723
132	15.74537	80.80049	173	15.85331	80.78819
133	15.74575	80.80157	174	15.85029	80.78829
134	15.74189	80.80245	175	15.84889	80.78871
135	15.73734	80.80259	176	15.84460	80.78760
136	15.72993	80.80345	177	15.83968	80.78832
137	15.72857	80.80539	178	15.83705	80.78959
138	15.72954	80.80698	179	15.83414	80.78907
139	15.72704	80.80890	180	15.83027	80.78994
140	15.72568	80.81145	181	15.82485	80.79130
141	15.72388	80.81407	182	15.81877	80.79120
142	15.73139	80.81290	183	15.79894	80.80035
143	15.74021	80.81422	184	15.79463	80.80656
144	15.74109	80.81547	185	15.78300	80.81117
145	15.74751	80.81339	186	15.79020	80.80933

187	15.79866	80.80846	199	15.86753	80.77243
188	15.80696	80.81000	200	15.76937	80.79459
189	15.81133	80.81256	201	15.77047	80.79732
190	15.81464	80.81185	202	15.76605	80.79646
191	15.81787	80.81260	203	15.76037	80.79689
192	15.82541	80.81177	204	15.75582	80.79850
193	15.83679	80.80914	205	15.75353	80.80018
194	15.83823	80.80919	206	15.75293	80.79839
195	15.85166	80.79493	207	15.75627	80.79585
196	15.86178	80.78167	208	15.76087	80.79403
197	15.86539	80.77218	209	15.76527	80.79318
198	15.86709	80.77307			

सारणी ख : पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	15.90086	80.81776
2	15.88762	80.86435
3	15.78332	80.84031
4	15.81418	80.88654
5	15.82302	80.90167
6	15.82392	80.92769
7	15.89751	81.01557
8	15.93868	81.06737
9	16.01013	81.08178
10	16.00749	81.12150
11	15.95851	81.13963
12	15.89308	81.06263
13	15.82232	81.00718
14	15.75817	81.01919
15	15.70778	80.93193
16	15.69664	80.82791
17	15.72800	80.79030
18	15.77841	80.79243
19	15.83286	80.77725
20	15.86540	80.75450

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	अक्षांश - देशांतर	टिप्पणी
1	हमसालादेवी	पू 15.991430 ⁰ उ 81.096012 ⁰	ये ग्राम कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत यह ग्राम आते हैं जो सभी सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रामों के भू-निर्देशांक जहां पारिस्थितिकी संवेदी जोन के स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।
2	पलाकायतिप्पा	पू 15.977840 ⁰ उ 81.099565 ⁰	
3	गोल्लापालेम	पू 15.926709 ⁰ उ 81.060882 ⁰	
4	सोरलागोंडी	पू 15.863822 ⁰ उ 80.967162 ⁰	
5	कम्मावारी पलेम पालम	पू 15.840329 ⁰ उ 80.919018 ⁰	
6	गोल्लालामोधा	पू 15.829376 ⁰ उ 80.927899 ⁰	
7	इदुरूमोंदी	पू 15.839223 ⁰ उ 80.888191 ⁰	
8	नाचुगुंटा	पू 15.786658 ⁰ उ 80.888066 ⁰	
9	एलिचेटलडिब्बा	पू 15.781129 ⁰ उ 80.873134 ⁰	
10	लंकावानिदीब्बा	पू 15.792388 ⁰ उ 80.840830 ⁰	
11	मोल्लागुंटा	पू 15.886951 ⁰ उ 80.837566 ⁰	
12	भीमावारी पालम	पू 15.891388 ⁰ उ 80.820711 ⁰	
13	कोथापालम	पू 15.886638 ⁰ उ 80.796502 ⁰	

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।

3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2019

S.O. 4322(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Krishna Wildlife Sanctuary was declared under Section 26(A) of Wildlife (Protection) Act, 1972 vide G.O.Ms.No.79 Environment, Forests, Science and Technology (For-III), dated 27.06.1998 of the Government of Andhra Pradesh. The total area of the Sanctuary is 194.81 square kilometers of which Nachugunta Block – II Reserved Forest (RF) of 8.7548 square kilometers is to be included to the Sanctuary area covering two Revenue Districts namely Krishna and Guntur in between 15°- 42” to 16°-00” North and 80°- 46” to 81°- 08” East;

AND WHEREAS, the flora and fauna of Krishna Wildlife Sanctuary constitute a unique eco-system characterized by tidal forest (Mangrove) of existing in the Krishna estuarine area. The mangroves with rivulet estuaries form a district habitat in the Krishna delta complex. The Mangroves are the salt tolerant forest eco-system found mainly in the tropical and sub-tropical intertidal regions of the world, having specific biological and geological characteristics. They are not only highly sensitive and productive zones, but also act as nursery grounds for shrimp, shale and fin-fish etc. The flora and fauna occurring in the Mangrove forest have the special ability to tolerate various degrees of salinity. Under favorable conditions the mangroves form an extensive productive eco-system of dense forests and also act as shelter belts. They are abode for a number of species of plants and animals associated with each other. The inter-relationship between various species of plants and the animals in the Sanctuary is a matter of interest for study;

AND WHEREAS, the main type of forest is tidal forest (Mangrove Forest) with constituting species of *Avicenia officianalis*, *Avicenia marina*, *Avicenia alba*, *Rhizophora conjugate*, *Exocaria agallocha*, *Lumintzera racemosa*, *Aegiceras corniculatum*, *Acanthus illicifolius*, *Criops roxburghiana*, *Bruguiera conjugate*, *Carapa moleccensis*, *Dalbergia spinosa*, *Derris uliginosa*, *A canthus illicifolius*, *Sesuvium portulacastrum*, *Suaeda nudiflora*, *Suaeda monovica*, *Salicornia brachiata*, *Myrio stachya*, etc., The major fauna available in the Sanctuary are great crested grebe, little grebe, Indian shag, little cormorant, purple heron, pond heron, large egret, cattle egret, Indian roof heron, night heron, chestnut bittern, yellow bittern, glossy ibis, spotted billed duck, mallard, shoveller, red-crested pochard, tufted duck, comb duck, black winged kite, Indian moorhen, coot or common coot, pheasant tiled jacana, black winged stilt, red wattled lapwing, golden plover, large sand plover, ringed plover, common sandpiper, pintail snipe, Jack snipe, little stint, little tern, blue rock pigeon, ringdove, pied crested cuckoo, Indian cuckoo, pied kingfisher, swallow, rosy pastor, grey headed myna, red

vented bulbul, spotted babbler, large bush warbler, ashy wren warbler, brown leaf warbler, red start, pied bush chat, purple sunbird, white pelican, darter, spoon bill, rhesus monkey, pond or green frog, tree frog, house gecko, wall lizard, garden lizard, striped keel back, olive keel back, cobra, Russels viper, hook nosed sea snake, hawksbill sea, estuarine crocodile, etc. Olive Ridley turtles are also breeding in the Sanctuary and the conservation of sea turtles (olive Ridley) has become an important activity in the Sanctuary for the last three years;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Krishna Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 1 kilometres uniform around the boundary of Krishna Wildlife Sanctuary, in Krishna and Guntur districts in the State of Andhra Pradesh as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** - (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 1 kilometres uniform around the boundary of Krishna Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 175.33 square kilometres.
 - (2) The boundary description of Krishna Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
 - (3) The maps of the Krishna Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**, **Annexure-IIB** and **Annexure-IIC**.
 - (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Krishna Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III**.
 - (5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal Administration;
 - (x) Roads & Buildings;
 - (xi) Andhra Pradesh State Pollution Control Board;
 - (xii) Ports;
 - (xiii) Fisheries;
 - (xiv) Industries;
 - (xv) APTRANSCO;
 - (xvi) Railway;
 - (xvii) Panchayati Raj; and
 - (xviii) Public Works Department.
 - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
 - (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
- Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016.
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

- (12) **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.-** The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-
(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godvarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or up to extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated as per the applicable laws.
23.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Use of explosives for developmental activities.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

- 5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collectors of respective Divisional Forest Officers	Chairman, ex officio
(ii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iii)	Environmental Engineer, Vijayawada Andhra Pradesh State Pollution Control Board	Member;
(iv)	Municipal Commissioner, Krishna and Guntur	Member;
(v)	Divisional Forest Officer, Wildlife Management, Eluru	Member;
(vi)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(vii)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(viii)	Director of Ports, Nizampatnam Port, Nizampatnam	Member;
(ix)	General Manager, DIC, Vijayawada	Member;
(x)	Deputy Director, Fisheries, Machilipatnam	Member;
(xi)	District Wildlife Warden, Krishna (T) Vijayawada, Guntur (T) Guntur	Member-Secretary.

- 6. Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/40/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I


BOUNDARY DESCRIPTION OF KRISHNA WILDLIFE SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE OF THE KRISHNA WILDLIFE SANCTUARY

- L to K: The Eco-sensitive Zone boundary starts at Station 'L' (Lat: 15.8713⁰ – Long: 80.7645⁰), in Kothapalem Reserve Forest on the bank of Bay of Bengal 1 kilometer away from the Sanctuary boundary and runs parallel in westerly direction till it reaches point 'K' (Lat: 15.9344⁰ – Long: 80.8177⁰) near Kothapalem village.
- K to J: Then, the Eco-sensitive Zone boundary traverses in south easterly direction to station 'J' (Lat: 15.8871⁰ – Long: 80.8340⁰) near Mollagunta village.
- J to I: Then the Eco-sensitive Zone boundary traverses in westerly direction to station 'I' (Lat: 15.8798⁰ – Long: 80.8692⁰) near Mrutunjayapalem village.
- I to H: Then the boundary line traverses from 'I' in southerly direction till it reaches station 'H' (Lat: 15.8040⁰ – Long: 80.8445⁰) near Lankavanidibba Village.
- H to G: Then the boundary line traverses from 'H' in southerly direction till it reaches station 'G' (Lat: 15.7698⁰ – Long: 80.8398⁰) near the Bank of River Krishna, where it turns eastwards to cross river Krishna.
- G to F: Then the boundary line crosses river Krishna enters into Krishna District and joins station 'F' (Lat: 15.7896⁰ – Long: 80.8670⁰) near the Elichetladibba Village and runs parallel to the sanctuary boundary in north – easterly direction.
- F to E: Then the boundary line crosses Nadiperu (An arm of river Krishna) and enters into Nachugunta Island and joins station 'E' (Lat: 15.7894⁰ – Long: 80.8874⁰) near the Nachugunta Village and joins the south – west corner of Nachugunta Block-II.
- E to D: Then the boundary line runs along the boundary line of Nachugunta R.F. Block-II encircling the hole block and reaches the north – eastern corner of the block and runs parallel at a distance of 1KM from the sanctuary boundary and crosses Ballaleru (another arm of river Krishna) and enters into station 'D' (Lat: 15.8692⁰ – Long: 80.9692⁰) near Etimoga village.
- D to C: Then the Eco-sensitive Zone boundary line runs in north – eastern direction 1KM parallel to the sanctuary boundary line and joins station 'C' (Lat: 15.8962⁰ – Long: 80.0162⁰) near Sangameswaram village.
- C to B: Then the Eco-sensitive Zone boundary line runs in north – eastern direction 1KM parallel to the sanctuary boundary line and joins station 'B' (Lat: 15.9375⁰ – Long: 80.0696⁰) near Subhadrapuram village.
- B to A: Then the Eco-sensitive Zone boundary line runs in north – eastern direction 1 kilometre parallel to the sanctuary boundary line and joins station 'A' (Lat: 15.9936⁰ – Long: 80.0881⁰) near Hamsaladeevi village. Then the Eco-sensitive Zone boundary line reaches river Krishna the first arm and crosses the river and follows the eastern bund of river Krishna till it reaches Bay of Bengal. Then the Eco-sensitive Zone boundary line traverses 1KM parallel to the sanctuary boundary in Bay of Bengal all

along the Seaward side of the Sanctuary, encircling it and joins the starting point station 'L' (Lat: 15.8713⁰ – Long: 80.7645⁰) in Guntur District and closes.


ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KRISHNA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIB

MAP OF KRISHNA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE OF ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE FOR KRISHNA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE
AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI)
TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF KRISHNA WILDLIFE SANCTUARY

S. No.	Latitudes (N)	Longitudes (E)	S. No.	Latitudes (N)	Longitudes (E)
	Sanctuary Co-ordinates		9	15.84983	80.85397
			10	15.82574	80.84734
1	15.86788	80.76352		Sanctuary Co-ordinates	
2	15.88125	80.80761	11	15.80382	80.83582
3	15.88020	80.81455	12	15.79488	80.83172
4	15.89009	80.81371	13	15.77174	80.83121
5	15.89194	80.81659	14	15.76921	80.84153
6	15.87597	80.83461	15	15.77521	80.84419
7	15.87806	80.83592			
8	15.87983	80.85985			

16	15.78162	80.86606	57	15.89637	81.05176
17	15.77672	80.86866	58	15.89064	81.04731
18	15.77630	80.88168	59	15.89105	81.04496
19	15.78237	80.88779	60	15.88851	81.04645
20	15.78152	80.88991	61	15.89183	81.05080
21	15.78913	80.90057	62	15.89348	81.05326
22	15.79431	80.90360	63	15.88995	81.05055
23	15.79763	80.91792	64	15.88489	81.04673
24	15.80266	80.91983	65	15.87726	81.03987
25	15.80683	80.92990	66	15.86513	81.03101
26	15.81826	80.93493	67	15.85461	81.02097
27	15.84221	80.96168	68	15.84384	81.01079
28	15.86486	80.98555	69	15.83421	81.00333
29	15.89638	81.02494	70	15.82819	81.00029
30	15.91767	81.04965	71	15.82638	80.99908
31	15.93207	81.07428	72	15.82247	80.99818
32	15.95176	81.07968	73	15.81906	80.99685
33	15.96438	81.08986	74	15.81773	80.99547
34	15.98021	81.10286	75	15.81577	80.99647
35	16.00309	81.09405	76	15.79875	80.99838
36	16.00339	81.08811	77	15.78750	81.00222
37	16.00437	81.09150	78	15.78205	81.00537
38	15.99970	81.11701	79	15.77573	81.00808
39	15.98170	81.12383	80	15.77483	81.01109
40	15.96794	81.13469	81	15.77167	81.01349
41	15.94721	81.10948	82	15.77498	81.01410
42	15.92301	81.08145	83	15.76693	81.01534
43	15.92359	81.07995	84	15.76489	81.00864
44	15.91908	81.07616	85	15.76956	80.99863
45	15.92008	81.07401	86	15.76075	80.99863
46	15.91491	81.07162	87	15.75774	81.00014
47	15.91352	81.06703	88	15.75763	81.00207
48	15.90980	81.06642	89	15.75396	81.00019
49	15.91049	81.06333	90	15.75450	81.00327
50	15.90807	81.06534	91	15.75670	81.00696
51	15.90206	81.05972	92	15.75781	81.00873
52	15.90372	81.05560	93	15.76006	81.00755
53	15.90130	81.05770	94	15.76011	81.00904
54	15.90212	81.05444	95	15.75701	81.01027
55	15.90130	81.05388	96	15.74635	80.99861
56	15.89952	81.05621	97	15.73382	80.97766

98	15.73311	80.97213	139	15.72704	80.80890
99	15.73520	80.97210	140	15.72568	80.81145
100	15.73393	80.96860	141	15.72388	80.81407
101	15.72918	80.96743	142	15.73139	80.81290
102	15.71914	80.95160	143	15.74021	80.81422
103	15.71493	80.93771	144	15.74109	80.81547
104	15.71956	80.93472	145	15.74751	80.81339
105	15.72031	80.93034	146	15.76069	80.81092
106	15.71704	80.92899	147	15.77681	80.80437
107	15.71509	80.92012	148	15.78070	80.80140
108	15.71432	80.89004	149	15.79094	80.79469
109	15.70777	80.82938	150	15.80280	80.78972
110	15.70510	80.82223	151	15.81335	80.78421
111	15.70958	80.81884	152	15.82286	80.78273
112	15.71241	80.81865	153	15.82729	80.78431
113	15.71027	80.81984	154	15.82814	80.78531
114	15.70781	80.82334	155	15.82939	80.78587
115	15.70800	80.82410	156	15.82851	80.78763
116	15.71031	80.82275	157	15.83165	80.78722
117	15.71248	80.82007	158	15.83548	80.78636
118	15.71740	80.81715	159	15.84103	80.78284
119	15.72039	80.81469	160	15.84859	80.77984
120	15.72162	80.81416	161	15.85096	80.77978
121	15.72574	80.80666	162	15.85351	80.77822
122	15.72938	80.80061	163	15.85789	80.77896
123	15.73431	80.79638	164	15.85887	80.77995
124	15.74139	80.79430	165	15.85735	80.78174
125	15.74714	80.79406	166	15.85578	80.78281
126	15.74903	80.79596	167	15.85475	80.78198
127	15.74804	80.79665	168	15.85543	80.78377
128	15.74977	80.79828	169	15.85537	80.78478
129	15.74838	80.79890	170	15.85476	80.78513
130	15.74973	80.79982	171	15.85508	80.78646
131	15.74816	80.80059	172	15.85408	80.78723
132	15.74537	80.80049	173	15.85331	80.78819
133	15.74575	80.80157	174	15.85029	80.78829
134	15.74189	80.80245	175	15.84889	80.78871
135	15.73734	80.80259	176	15.84460	80.78760
136	15.72993	80.80345	177	15.83968	80.78832
137	15.72857	80.80539	178	15.83705	80.78959
138	15.72954	80.80698	179	15.83414	80.78907

180	15.83027	80.78994	195	15.85166	80.79493
181	15.82485	80.79130	196	15.86178	80.78167
182	15.81877	80.79120	197	15.86539	80.77218
183	15.79894	80.80035	198	15.86709	80.77307
184	15.79463	80.80656	199	15.86753	80.77243
185	15.78300	80.81117	200	15.76937	80.79459
186	15.79020	80.80933	201	15.77047	80.79732
187	15.79866	80.80846	202	15.76605	80.79646
188	15.80696	80.81000	203	15.76037	80.79689
189	15.81133	80.81256	204	15.75582	80.79850
190	15.81464	80.81185	205	15.75353	80.80018
191	15.81787	80.81260	206	15.75293	80.79839
192	15.82541	80.81177	207	15.75627	80.79585
193	15.83679	80.80914	208	15.76087	80.79403
194	15.83823	80.80919	209	15.76527	80.79318

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

S. No.	Latitudes (N)	Longitudes (E)
1	15.90086	80.81776
2	15.88762	80.86435
3	15.78332	80.84031
4	15.81418	80.88654
5	15.82302	80.90167
6	15.82392	80.92769
7	15.89751	81.01557
8	15.93868	81.06737
9	16.01013	81.08178
10	16.00749	81.12150
11	15.95851	81.13963
12	15.89308	81.06263
13	15.82232	81.00718
14	15.75817	81.01919
15	15.70778	80.93193
16	15.69664	80.82791
17	15.72800	80.79030
18	15.77841	80.79243
19	15.83286	80.77725
20	15.86540	80.75450

ANNEXURE-IV

**LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KRISHNA WILDLIFE SANCTUARY
ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sl. No	Name of the Village	Latitude - Longitude	Remarks
1	Hamsaladeevi	E 15.991430 ⁰ N 81.096012 ⁰	These villages fall along the Eco-Sensitive Zone of the Krishna Wildlife Sanctuary which is 1 kilometre away all around the Boundary. The co-ordinates of the villages where the stations of the Eco-Sensitive Zone are ear- marked, are submitted separately.
2	Palakayathippa	E 15.977840 ⁰ N 81.099565 ⁰	
3	Gollapalem	E 15.926709 ⁰ N 81.060882 ⁰	
4	Sorlagondi	E 15.863822 ⁰ N 80.967162 ⁰	
5	Kammavari Palem	E 15.840329 ⁰ N 80.919018 ⁰	
6	Gollalamodha	E 15.829376 ⁰ N 80.927899 ⁰	
7	Edurumondi	E 15.839223 ⁰ N 80.888191 ⁰	
8	Nachugunta	E 15.786658 ⁰ N 80.888066 ⁰	
9	Yelichetladibba	E 15.781129 ⁰ N 80.873134 ⁰	
10	Lankavanidibba	E 15.792388 ⁰ N 80.840830 ⁰	
11	Mollagunta	E 15.886951 ⁰ N 80.837566 ⁰	
12	Bhimavari Palem	E 15.891388 ⁰ N 80.820711 ⁰	
13	Kothapalem	E 15.886638 ⁰ N 80.796502 ⁰	

ANNEXURE -V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.